शहरी विकास विभाग
9वॉ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

तारांकित प्रश्न संख्या :– 26

दिनांक :– 09/08/2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री नितिन त्यागी

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि जी 53, लक्ष्मीनगर, विकास मार्ग पर एक भवन 1 व दो अगस्त, 2017 के बीच की रात को गिर गया था,	<u>उत्तरः–पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u> यह सत्य है कि जी – 53 लक्ष्मी नगर पर मकान आंशिक रूप से गिर गया था। <u>उत्तरः–कार्यालय आयुक्त पुलिस</u> पूर्वी जिला दिल्ली में भवन संख्या जी–53, लक्ष्मीनगर, विकास मार्ग, दिल्ली एक व दो जुलाई 2017 के बीच की रात को गिर गया था।
(ख) इस संबंध में आज तक क्या कार्रवाई की गई है,	<u>उत्तरः–पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u> गिरा हुआ मलवा तत्काल हटा दिया गया था तथा खतरनाक हिस्सा गिरा दिया था । केवल भूतल का हिस्सा बाकी बचा है <u>उत्तरः–कार्यालय आयुक्त पुलिस</u> इस संबंध में थाना शकरपुर, दिल्ली में मुकदमा संख्या 299/17, दिनांक 02.07.17 धारा 336/337/188 भा.द.स. के तहत दर्ज किया गया। जिसकी विवेचना अभी जारी है।
(ग) क्या उक्त भवन को पूरी तरह गिरा दिया गया है,	<u>उत्तरः–पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u> उपरोक्तानुसार <u>उत्तरः–दिल्ली पुलिस</u> हॉ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा उक्त भवन को गिरा दिया गया है।
(घ) दिल्ली में संबंधित विभागों द्वारा चिह्नित किए गए 'खतरनाक' भवनों का ब्यौरा,	<u>उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u> उत्तर 'घ' और 'ड' उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों में चिन्हित किये गये खतरनाक भवनों का ब्यौरा तथा उन भवनों/भवन के मालिकों के विरूद्व की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है ।

	<u>उत्तरः–दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u> मानसून मौसम के आगमन से पूर्व हर वर्ष दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा भवनों को निनिक्षण करवाया जाता है जिसमें खतरनाक भवनों को चिन्हित किया जाता है । इस वर्ष पश्चिमी क्षेत्र में भवन संख्या डब्ल्यू जेड.5, बुढेला गांव, विकास पूरी को खतरनाक भवन चिन्हित किया गया था। <u>उत्तरः–पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u> इस खंड द्वारा दो अन्य भवन खतरनाक चिन्हित किये गए है। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है। 1. मकान न. 18 शकरपुर खास DMC Act 348 & 349 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है तथा भवन को मालिक द्वारा स्वयं गिराया जा रहा है। 2. डी–197, लक्ष्मी नगर–भवन देखने से रहने हेतु असुरक्षित लगता है किन्तु आसन्न खतरे की स्थिति मं नहीं है। भवन मालिकों/निवासियों को भवन खाली करने हेतु नोटिस दे दिए गए है तथा नियमानुसार मरम्मत हेतु सूचित कर दिया गया है ताकि भवन कि स्थिति भविष्य में और न बिगड़े। 3. मकान संख्या C-510, गली न. 25, भजन पूरा DMC Act 348 & 349 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है तथा भवन को गिराया जा रहा है। 4. मकान संख्या A-50, अम्बेडकर विहार, जेहरी पुर एक्सटेंशन (द्वितीय तल्ल) में खतरनाक हिस्से पर DMC Act 348 & 349 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है तथा खतरनाक हिस्से को गिरा दिया गया है।
(ड) ऐसे भवन मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा?	<u>उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u> उत्तर 'घ' और 'ड' उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों में चिन्हित किये गये खतरनाक भवनों का ब्यौरा तथा उन भवनों/भवन के मालिकों के विरूद्व की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है । <u>उत्तरः–दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u> इस भवन के मालिक को दिल्ली नगर निगम

	एक्ट के अंतर्गत धारा 348 के तहत नोटिस जारी किया गया था । जिसके उपरांत मालिक मकान में घर में आई दरार को ठीक करा दिया । अब यह भवन खतरनाक नही है । **उत्तरः–पूर्वी दिल्ली नगर निगम** DMC Act 348 & 349 के अंतर्गत खतरनाक हिस्से को गिराने का खर्चा भवन मालिक से संपत्ति कर के साथ लिया जाता है। **उत्तरः–कार्यालय आयुक्त पुलिस** संबंधित नहीं

पुरक सूचना – उत्तरी दिल्ली नगर निगम :–

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आधीन क्षेत्रीय अभियन्त्रिक विभाग के कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष मानसून से पूर्व खतरनाक भवनों का सर्वे कराया जाता है। सर्वे के दौरान यदि कोई भवन मरम्मत योग्य पाया जाता है तो भवन मालिक को उस भवन को मरम्मत कराने हेतु निर्देश दिये जाते है कि उक्त भवन को शीघ्र ठीक करा दिया जाये जिससे किसी प्रकार का हादसा न हो अन्यथा डी0एम0सी0 एक्ट 1957 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई भवन खतरनाक हालत में पाया जाता है तो भवन मालिक को उस भवन को स्वयं गिराने हेतु निर्देश दिये जाते है यदि भवन का मालिक खतरनाक हिस्से को स्वयं नही गिराता तो डी0एम0सी0 एक्ट 1957 की धारा 348 के अन्तर्गत भवन मालिक के Risk & cost पर खतरनाक हिस्से के विरूद्व कार्रवाई की जाती है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आधीन क्षेत्रीय अभियन्त्रिक विभाग के कार्यालयों द्वारा इस वर्ष 14/07/2017 तक खतरनाक भवनों के सर्वे का ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

पुरक सूचना – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :–

पूरक सूचनाः खतरनाक भवनों के सन्दर्भ में दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 348

(1) यदि किसी समय आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि कोई भवन भग्नावस्था में है या उसके गिरने की संभाव्यता है या वह ऐसे भवन या ऐसे भवन के आसपास किसी अन्य भवन या स्थान के अधिभोगी, उसमें आश्रय लेने वाले या वहां से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से खतरनाक है तो आयुक्त ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे भवन को तोड़े, सुरक्षित करे या उसकी मरम्मत करे या ऐसी एक या अधिक बातें करे जिससे कि उससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए।

(2) यदि आयुक्त ठीक समझता है तो वह उक्त आदेश द्वारा ऐसे स्वामी या अधिभेगी से वहां से गुजरने वाले और अन्य व्यक्तियों के बचाव के लिए उचित और पर्याप्त आड़ या बाड़ और, जहां कहीं व्यवहार्थ हो वहां, एक सुविधाजनक प्लेटफार्म और रेलिंग, जो ऐसी आड़ या बाड़ के बाहर यात्रियों के लिए एक पैदल मार्ग का काम दे, या तो तत्क्षण या उस भवन को तोड़ने, सुरक्षित करने या उसकी मरम्मत करने के लिए कार्यवाही करने से पूर्व ही लगाने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि जो भवन भग्नावस्था में है या जिसके गिरने की सम्भाव्यता है उससे खतरा आसन्नत है तो वह उपरोक्त आदेश देने से पूर्व उक्त भवन पर बाड़ लगा सकता है, उसे तोड़ सकता है, सुरक्षित कर सकता है, या उसकी मरम्मत कर सकता है या ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो खतरे के निवारण के लिए आवश्यक हो।

(4) यदि भवन का स्वामी या अभियोगी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो आयुक्त भवन के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए।

(5) किसी भवन के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन आयुक्त द्वारा किए गए सभी व्यय उसके स्वामी या अधिभोगी से इस अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

पुरक सूचना – पूर्वी दिल्ली नगर निगम :–

पूरक सूचना : खतरनाक भवनों के सन्दर्भ में दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 348

(1) यदि किसी समय आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि कोई भवन भग्नावस्था में है या उसके गिरने की संभाव्यता है या वह ऐसे भवन या ऐसे भवन के आसपास किसी अन्य भवन या स्थान के अधिभोगी, उसमें आश्रय लेने वाले या वहां से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से खतरनाक है तो आयुक्त ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे भवन को तोड़े, सुरक्षित करे या उसकी मरम्मत करे या ऐसी एक या अधिक बातें करे जिससे कि उससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए।

(2) यदि आयुक्त ठीक समझता है तो वह उक्त आदेश द्वारा ऐसे स्वामी या अधिभोगी से वहां से गुजरने वाले और अन्य व्यक्तियों के बचाव के लिए उचित और प्र्याप्त आड़ या बाड़ और, जहां कहीं व्यवहार्थ हो वहां, एक सुविधाजनक प्लेटफार्म और रंलिंग, जो ऐसी आड़ या बाड़ के बाहर यात्रियों के लिए एक पैदल मार्ग का काम दे, या तो तत्क्षण या उस भवन को तोड़ने, सुरक्षित करने या उसकी मरम्मत करने के लिए कार्यवाही करने से पूर्व ही लगाने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि जो भवन भग्नावस्थ में है या जिसके गिरने की सम्भाव्यता है उससे खतरा आसन्न है तो वह उपरोक्त आदेश देने से पूर्व उक्त भवन पर बाड़ लगा सकता है, उसे तोड़ सकता है, सुरक्षित कर सकता है, या उसकी मरम्मत कर सकता है या ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो खतरे के निवारण के लिए आवश्यक हो।

(4) यदि भवन का स्वामी या अभियोगी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है। तो आयुक्त भवन के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए।

(5) किसी भवन के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन आयुक्त द्वारा किए गए सभी व्यय उसके स्वामी या अधिभोगी से इस अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकॉया के रूप में वसूलीय होंगे।

पुरक सूचना – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :–

पूरक सूचना : खतरनाक भवनों के सन्दर्भ में दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 348

(1) यदि किसी समय आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि कोई भवन भग्नावस्था में है या उसके गिरने की संभाव्यता है या वह ऐसे भवन या ऐसे भवन के आसपास किसी अन्य भवन या स्थान के अधिभोगी, उसमें आश्रय लेने वाले या वहां से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से खतरनाक है तो आयुक्त ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे भवन को तोड़े, सुरक्षित करे या उसकी मरम्मत करे या ऐसी एक या अधिक बातें करे जिससे कि उससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए।

(2) यदि आयुक्त ठीक समझता है तो वह उक्त आदेश द्वारा ऐसे स्वामी या अधिभोगी से वहां से गुजरने वाले और अन्य व्यक्तियों के बचाव के लिए उचित और पर्याप्त आड़ या बाड़ और, जहां कहीं व्यवहार्थ हो वहां, एक सुविधाजनक प्लेटफार्म और रंलिंग, जो ऐसी आड़ या बाड़ के बाहर यात्रियों के लिए एक पैदल मार्ग का काम दे, या तो तत्क्षण या उस भवन को तोड़ने, सुरक्षित करने या उसकी मरम्मत करने के लिए कार्यवाही करने से पूर्व ही लगाने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि जो भवन भग्नावस्थ में है या जिसके गिरने की सम्भाव्यता है उससे खतरा आसन्न है तो वह उपरोक्त आदेश देने से पूर्व उक्त भवन पर बाड़ लगा सकता है, उसे तोड़ सकता है, सुरक्षित कर सकता है, या उसकी मरम्मत कर सकता है या ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो खतरे के निवारण के लिए आवश्यक हो।

(4) यदि भवन का स्वामी या अभियोगी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है। तो आयुक्त भवन के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए।

(5) किसी भवन के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन आयुक्त द्वारा किए गए सभी व्यय उसके स्वामी या अधिभोगी से इस अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

Subject:- Detail of Dangerous Buildings noticed in the jurisdiction of North DMC as per survey carried out this year upto 14.07.2017 & ATR

Zone	S.No.	Property address	Dangerous Houses/ATR/Status
City	1	566, Katra Ashrafi, Chandni Chowk, Delhc-110006	Dangerous portion removed by owner
	2	2115-2117 Dhobiwada Kinari Bazar, Delhi	Action as per DMC Act u/s 348 & 349 is being taken
	3	2721-A, Mohalla Niharian, Behind GB Road, Delhi	Owner himself demolished
	4	2118, GF, Dhobiwara, Kinari Bazar, Delhi	Owner himself demolishing
Sadar Paharganj	1	1516, Aziz Ganj, Delhi	This is certify that I have throughly and physically inspected the above mentioend properties out of which 08 found dangerous and 22 found repairable. Necessary action as per DMC Act for dangerous properties/structure i.e. notice u/s 348 & 349 have been issued and followup action are also in process for repairable properties/structures. Necessary direction/instructions have already been sent to owner/builder.
	2	226-27, Gali Badam, Naya Bans, Delhi	
	3	78, Gali Sisar Wali, Delhi	
	4	10218/27, Manakpura, Delhi	
	5	10134, Gali Chajju Pandit Old Dal Mill Delhi	
	6	10528, Manakpura, Model Basti, Delhi	
	7	10525-27, Manakpura, Model Basti, Delhi	
	8	10538, GF, Hari Chand Chowk, Karol bagh, Delhi	
Karol Bagh	1	C-322, TF, Delhi dated 09.05.2017	Dangerous portion has been removed.
	2	C-303, SF, TF & SF dated 09.05.2017	Dangerous portion has been removed.

EE(Plg.)

AE(Plg.)

Subject:- Detail of Dangerous Buildings noticed in the jurisdiction of North DMC as per survey carried out this year upto 14.07.2017

Zone	Total properties	Total properties surveyed	No. of houses found repairable	Nos. of house repaired	Balance to be repaired	No. of houses found dangerous
City	27785	27785	101	89	12	4
Sadar Paharganj	39627	33584	22	11	11	8
Karol Bagh	72918	72918	0	0	0	2
Civil Line	189643	189643	0	0	0	0
Rohini	163066	163066	0	0	0	0
Narela	89500	89500	0	0	0	0

EE(Plg.)

AE(Plg.)